



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1994/चैत्र 9, 1916

No. 155]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1994/CHAITRA 9, 1916

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1994

अधिसूचना

का.प्र. 272(अ).--केन्द्रीय सरकार, अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :-

- (1) प्रोफेसर एस. के. खन्ना, अध्यक्ष
डी-II/363, पंडारा रोड,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा)
- (2) सचिव (व्यय), सदस्य
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (छ) द्वारा)
- (3) वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि, सदस्य
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा)

- (4) स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा)

- (5) मलाहकार (विज्ञान और तकनीकी) सदस्य
धान मंत्रालय,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा)

- (6) योजना आयोग का प्रतिनिधि, सदस्य
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा)

- (7) प्रोफेसर पी. जे. कुरियन, सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
बो-77, शाहजहाँ रोड,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ञ) द्वारा)

- (8) श्री प्रभाकर बी. कोरे, सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
129, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ञ) द्वारा)

(9) प्रायुक्त और सचिव,
हरियाणा सरकार,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
चंडीगढ़।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

सदस्य

(10) वित्त प्रायुक्त-सह-सचिव
(तकनीकी शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

सदस्य

(11) प्रायुक्त और सचिव,
जम्मू और कश्मीर,
श्रीनगर।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

सदस्य

(12) कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

सदस्य

(13) केरल सरकार का प्रतिनिधि
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

सदस्य

(14) निदेशक, तकनीकी शिक्षा,
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

सदस्य

(15) दादरा और नागर हवेली
संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधि
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

सदस्य

(16) दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधि
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

सदस्य

(17) श्री ललित सूरि, अध्यक्ष,
होटल होलीडे इन,
बाराखम्बा एवेन्यू, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

सदस्य

(18) श्री ललित सुरजन,
संपादक, देशबन्धु, राम सागर पाड़ा,
रायपुर (मध्य प्रदेश)।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा)

सदस्य

(19) श्री डी. एल. बी. शर्मा,
439/सी, 8 फ़्लास, 6 ब्लॉक,
(पश्चिम), जयानगर, बंगलौर-560082।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ठ) द्वारा)

सदस्य

(20) श्री एम. बी. मृगपदन,
प्रबन्ध निदेशक,
कार्बोरनडम यूनिवर्सल लिमिटेड,
टी आई एम हाउस, 28, राजाजी सुलाई,
मद्रास-600001।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ठ) द्वारा)

सदस्य

(21) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधि
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (i) द्वारा)

सदस्य

(22) प्रोफेसर सी. एन. धार. राव,
निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (ii) द्वारा)

सदस्य

(23) प्रोफेसर बी. सी. कुलन्दे स्वामी,
सभापति, भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (ii) द्वारा)

सदस्य

(24) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
परिषद के प्रतिनिधि,
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (iv) द्वारा)

सदस्य

(25) डा. जे. एस. कादरी,
सभापति, भारतीय मेक्जो परिषद, नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (5) द्वारा)

सदस्य

(26) श्री जे. धार. मल,
सभापति, स्थापत्यकला परिषद,
8-बी, शंकर मार्केट, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (vi) द्वारा)

सदस्य

(27) महा निदेशक,
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) (vii) द्वारा)

सदस्य

(28) प्रोफेसर एस. के. गुलाटी,
प्रबन्ध निदेशक,
एजुकेशनल कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड,
नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) द्वारा)

सदस्य

(29) डा. टी. रामामूर्ति,
निर्देशक इंजीनियरी विभाग,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
होश्रबास, नई दिल्ली।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) द्वारा)

सदस्य

(30) श्री डी. डी. अग्रवाल,
अध्यक्ष, इंजीनियरी संस्थान,
भोपाल (मध्य प्रदेश)।
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) द्वारा)

सदस्य

(31) श्री पराकुल्ला महेश्वरी,
प्रबन्धनिक महा सचिव,
उद्योग परिसंघ, भोपाल, भवन,
भारत भवन, 3, इंदिरा प्रेम काम्लेट,
महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) द्वारा)

सदस्य

(32) श्री पतंग राव कवय,
भारती विद्यापीठ भवन,
एन. बी. शास्त्री रोड, पुणे-411030
(धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ण) द्वारा)

सदस्य

(33) श्री प्रभाकर गोपाल भागवत, भागवत फार्म, कम्प्यू, चनाकोठार, सशकर, ग्वालियर।	सदस्य	[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) द्वारा]	
[धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड () द्वारा]			
(34) श्री वाई. एन. चतुर्वेदी, अपर सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (न) द्वारा]	सदस्य-सचिव	(21) श्री प्रभाकर बी कोरे संसद सदस्य (राज्य सभा), 129, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली, [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा]	सदस्य
और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की अधिसूचना सं. का. भा. 479 (अ), तारीख 12 मई, 1988 में निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है:--			
उक्त अधिसूचना में:--			
(i) प्रविष्टि (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--		(23) वित्त आयुक्त-सह-सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा]	सदस्य
“(1) प्रोफेसर एस. के. खन्ना, डी-II 363, पंढारा रोड, नई दिल्ली [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा]”	अध्यक्ष		
(ii) प्रविष्टि (14) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--		(24) आयुक्त और सचिव जम्मु-कश्मीर, श्रीनगर। [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा]	सदस्य
“(14) सचिव (व्यय) भारत सरकार, नई दिल्ली [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (छ) द्वारा]”	सदस्य		
(iii) प्रविष्टि (16) से प्रविष्टि (38) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:--		(25) कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा]	सदस्य
“(16) वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि नई दिल्ली (धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा]	सदस्य		
(17) स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रतिनिधि नई दिल्ली [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा]	सदस्य	(26) केरल सरकार का प्रतिनिधि [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा]	सदस्य
(18) सलाहकार (विज्ञान और तकनीकी) खान मंत्रालय, नई दिल्ली [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा]	सदस्य	(27) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा]	सदस्य
(19) योजना आयोग का प्रतिनिधि नई दिल्ली [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (झ) द्वारा]	सदस्य	(28) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधि [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा]	सदस्य
(20) प्रोफेसर पी. जे. कुरियन, संसद सदस्य (लोक सभा), एबी-77, साहजहां रोड, नई दिल्ली	सदस्य	(29) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधि [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा]	सदस्य
		(30) श्री ललित सूरी, अध्यक्ष, होटल होलीडे इन, बाराबन्सा एवेन्यू, कनाट प्लेस, नई दिल्ली [धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) द्वारा]	सदस्य

- (31) श्री ललित सुरजन,
संपादक, देशबन्धु, राम सागर पाड़ा,
रायपुर (मध्य प्रदेश)
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) द्वारा]
- (32) श्री डी. एल. बी. शर्मा,
439/सी, 8 कास, VII ब्लॉक,
(पश्चिम), जयानगर, बंगलौर-560082।
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ठ) द्वारा]
- (33) श्री एम. बी. मुद्गप्पन,
प्रबन्ध निदेशक,
कार्बोरिडम् यूनिवर्सल लिमिटेड,
टी आई ए एम हाउस, 28, राजाजी सालाई
मद्रास-600001।
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ठ) द्वारा]
- (34) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधि
(धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (त) (i) द्वारा]
- (35) प्रोफेसर सी. एन. आर. राव,
निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलौर
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) (ii) द्वारा]
- (36) प्रोफेसर बी. सी. कूलन्दस्वामी,
समापित, भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी
नई दिल्ली।
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) (ii) द्वारा]
- (37) भारतीय व प्रौद्योगिकी संस्थान,
परिषद् के प्रतिनिधि
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) (iv) (4) द्वारा]
- (38) डा. जे. एस. कादरी,
समापित, भारतीय शेषजी परिषद्
नई दिल्ली।
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) (v) द्वारा]
- (iv) प्रविष्टि (41) से प्रविष्टि (46) के स्थान पर, क्रमशः
निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—
- “(41) प्रोफेसर एस. के. गुलाटी,
प्रबन्ध निदेशक,
एजुकेशनल कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड,
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) द्वारा]
- (42) डॉ. टी. रामामूर्ति,
सिविल इंजीनियरी विभाग,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
- (43) श्री डी. डी. अग्रवाल, अध्यक्ष,
इंजीनियरी संस्थान, भोपाल
मध्य प्रदेश
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) द्वारा]
- (44) श्री प्रफुल्ला महेश्वरी,
अवैतनिक महासचिव, फेडरेशन,
आफ मध्य प्रदेश चैम्बर आफ कामर्स,
3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स,
महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-460011
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) द्वारा]
- (45) श्री पतंग राव कदम, भारतीय
विद्यापीठ भवन, एल. बी. शास्त्री रोड,
पुणे
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ण) द्वारा]
- (46) श्री प्रभाकर गोपाल भागवत फार्मा,
चनाकोठार, लखर, ग्वालियर
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ण) द्वारा]
- (v) प्रविष्टि (51) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
- (51) श्री वाई. एन. चतुर्वेदी, अपर सचिव, सदस्य-सचिव,
शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
[धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (न) द्वारा]

[सं. एफ.-8-53/93-टी डी-
एस. डी. भावले,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1994

S.O. 272(E).—In exercise of the powers conferred by section (4) of section 3 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (32 of 1987), the Central Government hereby appoints the following as members of the India Council for Technical Education, namely:—

1. Prof. S. K. Khanna,
D-II/363, Pandara Road,
New Delhi.
[vide clause (a) of sub-section (4) of section 3)]

2. Secretary (Expenditure),
Ministry of Finance,
Government of India,
New Delhi.
[vide clause (g) of sub-section (4) of section 3).]

3. Representative of Ministry
of Commerce, New Delhi.
[vide clause (i) of sub-

Chair

Min

Min

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 4. Representative of Ministry of Health, New Delhi.
[vide clause (i) of sub-section (4) of section 3] | Member | 16. Representative of Union Territory of Daman and Diu.
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3] | Member |
| 5. Adviser (S&T), Ministry of Mines, New Delhi.
[vide clause (i) of sub-section (4) of section 3] | Member | 17. Shri Lalit Suri, Chairman, Hotel Holiday Inn, Barakhamba Avenue, Connaught Place, New Delhi.
[vide clause (1) of sub-section (4) of section 3] | Member |
| 6. Representative of Planning Commission, New Delhi
[vide clause (i) of sub-section (4) of section 3] | Member | 18. Shri Lalit Surjan, Editor, Desubhandhu, Ram Sagar Para, Raipur (Madhya Pradesh),
[vide clause (1) of sub-section (4) of section 3] | Member |
| 7. Prof. P. J. Kurien, Member Parliament (Lok Sabha), AB-77, Shahjahan Road, New Delhi.
[vide clause (i) of sub-section (4) of section 3] | Member | 19. Shri D. L. V. Sharma, 439/C, VIIIth Cross, VII Block (West), Jayanagar, Bangalore-560082.
[vide clause (1) of sub-section (4) of section 3] | Member |
| 8. Shri Prabhakar B. Kore, Member Parliament (Rajya Sabha), 129, North Avenue, New Delhi.
[vide clause (i) of sub-section (4) of section 3] | Member | 20. Shri M. V. Murugappan, Managing Director, Carborundum Universal Limited "TIAM HOUSE", 28, Rajaji Salai, Madras-600001,
[vide clause (1) of sub-section (4) of section 3] | Member |
| 9. Commissioner & Secretary to the Government of Haryana, Technical Education Department, Chandigarh.
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3] | Member | 21. Representative of Central Advisory Board of Education.
[vide clause (m) (i) of sub-section (4) of section 3] | Member |
| 10. Financial Commissioner-cum-Secretary (Technical Education), Government of Himachal Pradesh, Shimla.
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3] | Member | 22. Prof. C. N. R. Rao, Director Indian Institute of Science, Bangalore.
[vide clause (m) (ii) of sub-section (4) of section 3] | Member |
| 11. Commissioner & Secretary, Government of Jammu & Kashmir, Srinagar.
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3] | Member | 23. Prof. V. C. Kulandaiswamy, President, Indian Society for Technical Education, New Delhi
[vide clause (m) (iii) of sub-section (4) of section 3] | Member |
| 12. Representative of Government of Karnataka.
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3] | Member | 24. Representative of Council of Indian Institute of Technology.
[vide clause (m) (iv) of sub-section (4) of section 3] | Member |
| 13. Representative of Government of Kerala.
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3] | Member | 25. Dr. J. S. Qadry, President, Pharmacy Council of India, New Delhi.
[vide clause (m) (v) of sub-section (4) of section 3] | Member |
| 14. Director, Technical Education, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3] | Member | 26. Shri J. R. Bhall, President, Council of Architecture, 8-B, Shankar Market, Connaught Place, New Delhi.
[vide clause (m) (vi) of sub-section (4) of section 3] | Member |
| 15. Representative of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3] | Member | | |

- | | | | |
|--|----------------------|---|--------|
| 27. The Director General,
National Productivity Council,
New Delhi.
[vide (m)(vii) of sub-section
(4) of section 3] | Member | [vide clause (p) of sub-section
(4) of section 3]"
(iii) for entries (16) to (38), the
following entries shall respectively
be substituted, namely :— | |
| 28. Prof. S. K. Gulhai,
Managing Director,
Educational Consultants India Limited,
New Delhi.
[vide clause (n) of sub-section
(4) of section 3] | Member | “(16) Representative of Ministry of
Commerce, New Delhi.
[vide clause (i) of sub-section
(4) of section 3] | Member |
| 29. Dr. T. Ramamurthy,
Department of Civil Engineering,
Indian Institute of Technology,
Hauz Khas, New Delhi.
[vide clause (n) of sub-section
(4) of section 3] | Member | “(17) Representative of Ministry of
Health, New Delhi.
[vide clause (i) of sub-section
(4) of section 3] | Member |
| 30. Shri D. D. Aggarwal,
Chairman, Institute of Engineering,
Bhopal (Madhya Pradesh).
[vide clause (n) of sub-section
(4) of section 3] | Member | “(18) Adviser (S&T), Ministry of
Mines, New Delhi.
[vide clause (i) of sub-section
(4) of section 3] | Member |
| 31. Shri Prafulla Maheshwari,
Hon. Secretary General,
Federation of Industry, Bhopal, Nava
Bharat Bhawan, 3, Indira Press Complex,
Maharana Pratap Nagar, Bhopal-462011.
[vide clause (n) of sub-section
(4) of section 3] | Member | “(19) Representative of Planning
Commission, New Delhi.
[vide clause (i) of sub-section
(4) of section 3] | Member |
| 32. Shri Patang Rao Kadam,
Bharati Vidyapeeth Bhawan,
L. B. Shastri Road, Pune-411030.
[vide clause (o) of sub-section
(4) of section 3] | Member | “(20) Prof. P. J. Kurien,
Member (Lok Sabha), AB-77,
Shahjahan Road, New Delhi.
[vide clause (j) of sub-section
(4) of section 3] | Member |
| 33. Shri Prabhakar Gopal Bhagwat,
Bhagwat Pharma, Kampoo, Chamkatar,
Lashkar, Gwalior.
[vide clause (o) of sub-section
(4) of section 3] | Member | “(21) Shri Prabhakar B. Kore,
Member (Rajya Sabha), 129, North
Avenue, New Delhi.
[vide clause (j) of sub-section
(4) of section 3] | Member |
| 34. Shri Y. N. Chaturvedi,
Additional Secretary,
Department of Education,
Ministry of Human Resource
Development.
[vide clause (t) of sub-section
(4) of section 3] | Member-
Secretary | “(22) Commissioner & Secretary
to the Govt. of Haryana, Technical
Education Department, Chandigarh.
[vide clause (k) of sub-section
(4) of section 3] | Member |
| and amends the notification of the Government of India in
the Ministry of Human Resource Development (Department
of Education), No. S.O. 479(E) dated the 12th May, 1988
as follows :— | | “(23) Financial Commissioner-cum-
Secretary (Technical Education),
Government of Himachal Pradesh,
Shimla.
[vide clause (k) of sub-section
(4) of section 3] | Member |
| In the said notification— | | “(24) Commissioner & Secretary,
Government of Jammu and Kashmir,
Srinagar/Jammu.
[vide clause (k) of sub-section
(4) of section 3] | Member |
| (i) for entry (1), the following entry shall be substituted,
namely :— | | 25. Dr. J. S. Qadry,
President, Pharmacy Council of
India, New Delhi.
[vide clause (m) ,v) of sub-section
(4) of section (3).] | Member |
| “(1) Prof. S. K. Khanna,
D-II 363, Pandara Road, New Delhi.
[vide clause (i) of sub-section (4) of
section 3]” | | “(26) Representative of Government of
Kerala,
[vide clause (k) of sub-section (4)
of section 3] | Member |
| (ii) for entry (14) the following entry
shall be substituted, namely :— | | “(27) Director, Technical Education,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.
[vide clause (k) of sub-section (4)
of section 3] | Member |
| “(14) Secretary (Expenditure),
Government of India, New Delhi. | | “(28) Representative of the Union
Territory of Dadra & Nagar Haveli.
[vide clause (k) of sub-section (4)
section 3] | Member |

- (29) Representative of Union Territory of Daman & Diu. Member
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]
- (30) Shri Lalit Suri Chairman, Hotel Holiday Inn, Barakhamba Avenue, Connaught Place, New Delhi Member
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]
- (31) Shri Lalit Surjan, Editor, Deshbhandu, Ram Sagar Para, Raipur (Madhya Pradesh) Member
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]
- (32) Shri D.L.V. Sharma, 439/C, VIIIth Cross, VII Block (West), Jayanagar, Bangalore-560082 Member
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]
- (33) Shri M.V.-Murugappan, Managing Director, Carborundum Univedsal Limited, "TIAM HOUSE", 28, Rajaji Salai, Madras-600001. Member
[vide clause (k) of sub-section (4) of section 3]
- (34) Representative of Central Advisory Board of Education Member
[vide clause (m) (i) of sub-section (4) of section 3]
- (35) Prof. C.N.R. Rao, Director, Indian Institute of Science, Bangalore Member
[vide clause (m)(ii) of sub-section (4) of section 3]
- (36) Prof. V. C. Kulandaiswamy, President, Indian Society for Technical Education, New Delhi Member
[vide clause (m)(iii) of sub-section (4) of section 3]
- (37) Representative of Council of Indian Institute of Technology Member
[vide clause (m)(iv) of sub-section (4) of section 3]
- (38) Dr. J. S. Qadry, President, Pharmacy Council of India, New Delhi Member
[vide clause (m)(iv) of sub-section (4) of section 3]
- (iv) for entries (41) to (46), the following entries shall respectively be submitted, namely,
"(41) Prof. S. K. Gulhati, Manager Director, Educational Consultants India Limited Member
[vide clause (m) of sub-section (4) of section 3]
- (42) Dr. T. Ramamurthy, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology, Hauz Khas, New Delhi-110016 Member
[vide clause (n) f sub-section (4) of section 3]
- (43) Shri D. D. Aggarwal, Chairman, Institute of Engineering, Bhopal (Madhya Pradesh) Member
[vide clause (n) f sub-section (4) of section 3]
- (44) Shri Prafulla Maheshwari, Hon. Secretary General, Federation of Madhya Pradesh Chambers of Commerce, 3, Indira Press Complex, Maharana Pratap Nagar, Bhopal-460011 Member
[vide clause (n) f sub-section (4) of section 3]
- (45) Shri Patang Rao Kadam, Bharati Vidyapeeth Bhawan, L.B. Shastri Road, Pune Member
[vide clause (n) f sub-section (4) of section 3]
- (46) Shri Prabhakar Gopal Bhagwat Pharam, Chamkotar, Lashkar, Gwalior Member
[vide clause (n) f sub-section (4) of section 3]
- (v) for entry (51), the following entry shall be substituted, namely :—
(51) Shri Y. N. Chaturvedi, Additional Secretary, Department of Education, Ministry of Human Resource Development Member/Secretary
[vide clause (n) f sub-section (4) of section 3]

[No. F. 8-53/93-TD.I]

S. D. AWALE, Jt. Educational Adviser (Tech)